

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,  
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल - 462003  
दूरभाष - (0755) 2552646, 2552878, फ़ैक्स 2552406, 2551253  
e-mail : encwrbpl-mp@nic.in

क्रमांक 3329500/55/10

187

भोपाल, दिनांक 30/1/2017

// आदेश //

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र एफ-22/1/2008/नियम-4/भोपाल दिनांक 24 जनवरी-2008 समसंख्यक पत्र दिनांक 16.सितम्बर 2014 तथा म.प्र.शासन वित्त विभाग भोपाल के परिपत्र क्र 11-13/1661/2016/नियम/चार/भोपाल दिनांक 21.09.16 में निहित प्रावधानुसार विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित वाहन चालको (का.भा) को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई अवधि अनुसार तृतीय समयमान वेतनमान वेतन बेण्ड रु 9300-34800 में ग्रेड पे 3200 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	समयमान वेतनमान की पात्रता का दिनांक
1	2	4	5
1	श्री जसवंत सिंह	01.09.79	01.01.2016

सामान्य शर्तें

- 1 समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम चार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।
- 2 समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

*Rajiv Kumar Sukliker*  
(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ. 3329500/55/10  
प्रतिलिपि:-

188

भोपाल, दिनांक 30/1/17

- (1) वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता जल संसाधन विभाग भोपाल।
- (2) निज सहायक प्रमुख अभियन्ता, अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- (3) संबंधित श्री \_\_\_\_\_ द्वारा सरल क्रमांक 01


(4) बेव मेनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना जल संसाधन विभाग  
भोपाल

(5) अधीक्षक 332/411

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जाँच संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

  
(वी प्रदीप)

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता

  
28-1